सं.19030/1/2017-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

*****

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषयः यात्रा भत्तों के दावे प्रस्तुत किए जाने की समय-सीमा के संबंध में।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के जारी किए जाने के फलस्वरूप सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 290 के तहत यात्रा भत्ते के संबंध में दावा प्रस्तुत किए जाने की समय-सीमा एक वर्ष से बदलकर यात्रा पूर्ण होने की तारीख से साठ दिन कर दी गई है। तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 13.06.1967 के का.ज्ञा.सं. एफ.5(16)-ई.IV(बी)/67 और दिनांक 18.02.1976 के का.ज्ञा.सं. 19038/1/75-ई.IV(बी) का अधिक्रमण करते हुए, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि किसी सरकारी सेवक के दौरे/स्थानांतरण/प्रशिक्षण/सेवानिवृत्ति पर यात्रा के संबंध में यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का दावा, यदि यात्रा के पूरे होने की तारीख से साठ दिन के अंदर प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उसे जब्त अथवा छोड़ दिया गया माना जाएगा।

2. अधिकारी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अलग-अलग की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ते के दावे के संबंध में, प्रत्येक यात्रा के लिए तारीखों की गणना अलग-अलग की जानी चाहिए और प्रत्येक अलग यात्रा के पूर्ण होने की तारीख से साठ दिन के अंदर दावा प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार, निजी सामान की ढुलाई और वाहन के संबंध में यात्रा भत्ते के दावे उस तारीख से साठ दिन के अंदर प्रस्तुत किए जाएंगे जिस तारीख को वे सरकारी कर्मचारी को नए स्थान पर वास्तव में सौंपे जाते हैं।

3. इन दावों को प्रस्तुत किए जाने की तारीख निम्नानुसार निर्धारित की जाएगीः-

(i) ऐसे अधिकारियों के मामले में जो स्वयं अपने नियंत्रण अधिकारी हैं।	कोषागार/रोकड़ अनुभाग में दावा प्रस्तुत किए जाने की तारीख
(ii) ऐसे अधिकारियों के मामले में जो स्वयं अपने नियंत्रण अधिकारी नहीं हैं।	कार्यालय प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी को दावा प्रस्तुत किए जाने की तारीख

4. वर्ग 3(ii) में आने वाले दावों के संबंध में, जिन्हें यात्रा पूर्ण होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के बाद कोषागार में प्रस्तुत किया जाता है, दावा प्रस्तुत किए जाने की तारीख वह तारीख

मानी जाएगी जिसको सरकारी सेवक द्वारा साठ दिन की निर्धारित समय-सीमा के अंदर कार्यालय प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी को दावा प्रस्तुत किया गया था।

5. किसी सरकारी सेवक के यात्रा भत्ते के ऐसे दावे, जिसे एक वर्ष से अधिक की अवधि तक स्थगन में रखा गया है, की जांच संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा की जाए। यदि विभागाध्यक्ष सहायक दस्तावेजों के आधार पर दावे की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हो और दावा प्रस्तुत करने में विलंब के वैध कारण हों, तो आहरण और वितरण अधिकारी या लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा सामान्य जांच के बाद दावों का भुगतान कर दिया जाना चाहिए।

6. ये आदेश छुट्टी यात्रा रियायत दावों पर लागू नहीं होते जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पृथक नियमों द्वारा शासित किए जाते हैं।

7. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन को जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी होंगे।

8. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपिः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)।